विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0025412</u>

श्री रामचंद महादेव सराफ,
द्वारा श्री बाबूलाल अग्रवाल, — आवेदक
सदर बाजार, नीमच,
तहसील व जिला – नीमच (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.), — अनावेदकगण
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नीमच (म.प्र.)

आदेश

(आज दिनांक 21.12.2012 को पारित)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0221512 में श्री रामचंद महादेव सराफ विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, नीमच (म.प्र.) में पारित आदेश दिनांक 19.04.2012 जिसमें शिकायतकर्ता/उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किया गया था, के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. शिकायतकर्ता आवेदक विद्युत का उपभोक्ता है तथा उसने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन क्रमांक 474501/90–31/260/72 में पोल से विद्युत सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है तथा उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है । अतः जिस दिन से विद्युत प्रवाह बंद किया गया है तथा जिस दिनांक से उसे प्रारम्भ किया जाए उसके मध्य विद्युत उपयोग के लिये जो बिल जारी किये गये हैं उन्हें निरस्त किया जाए तथा उक्त व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन को पुनः प्रारम्भ करने का आदेश दिये जाने के साथ उसे क्षतिपूर्ति भी दिलाई जावे ।

3. आवेदक उपभोक्ता के उक्त शिकायत का जवाब विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री, नीमच ने यह कहते हुए दिया था कि आवेदक के उक्त विद्युत कनेक्शन के अतिरिक्त उसके पास विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72–42–41358 तथा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 90–06–129674 हैं, जिन पर क्रमशः रू. 35414/– तथा 11415/– का बिल बकाया है जो उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया है । अतः मई 2009 में उपभोक्ता का व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि उपभोक्ता द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन से काटे गए विद्युत कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है और उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण 06.01.2012 को किया गया है, जिससे यह पाया गया है कि घरेलू विद्युत कनेक्शन से विवादित विद्युत कनेक्शन चालू है ।

4. उक्त तथ्यों के आधार पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अध्याय–3 की कण्डिका 3.35 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 सहित आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष मौजूद या प्रस्तावित कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय वस्तु के अभ्यावेदन फोरम द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा । इस कारण शिकायत के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किया जाता है ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया है कि फोरम ने तथ्यों को समझे बिना जो निष्कर्ष दिया है वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि :– क्या उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है –

6. फोरम के प्रश्नांगत आदेश के पृष्ठ – 5 में फोरम को प्राप्त जानकारियां लेख की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उपभोक्ता ने गैर–घरेलू कनेक्शन क्रमांक 90–31–26072 है, जिसके विरूद्ध पंचनामा क्रमांक 5205/12 दिनांक 06.01.2012 को बनाया गया है । उक्त कनेक्शन पर बकाया राशि 7467/– रू. है । परिवादी का विवादित विद्युत कनेक्शन मई 2009 में अस्थाई रूप से काटा गया था । विवादित विद्युत कनेक्शन के परिसर में परिवादी का घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71–76–117179 स्थित है और परिवादी इस घरेलू विद्युत कनेक्शन से विवादित विद्युत कनेक्शन का उपयोग कनेक्शन काटने के समय से कर रहा है । फोरम ने जो जानकारी प्राप्त की थी उसी से स्पष्ट है कि मई 2009 में काटे गये विद्युत कनेक्शन की शिकायत उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष की गई थी, परन्तु फोरम ने दिनांक 06.01.2012 को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बनाए गए पंचनामें में उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त करने का आधार बनाया है जो प्रथमदृष्टया दोषपूर्ण प्रतीत होता है ।

7. इस मामले में मुख्य विवाद यह है कि आवेदक उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72–42–41358 तथा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 90–06–129674 का बकाया उपभोक्ता द्वारा जमा न करने के कारण क्या अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को उसका विद्युत क्रमांक 474501/90–31/26072 (गैर घरेलू) को काटने का अधिकार है अथवा नहीं ?

8. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने आवेदक उपभोक्ता की शिकायत का कोई विवरण अपने आदेश में नहीं किया है । अपितु, आवेदक उपभोक्ता ने अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब के खण्डन में जो शपथ–पत्र दिनांक 16.02.2012 को प्रस्तुत किया था उसी का विवरण आदेश में दिया गया है, जबकि उपभोक्ता ने दिनांक 01.01.2012 को फोरम के समक्ष शिकायत की थी और उसी शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा किया जाना था । फोरम को उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का अधिकार किन कारणों से नहीं है उन कारणों का तथ्यात्मक रूप से विवरण फोरम द्वारा अपने आदेश में नहीं दिया गया है । मुख्य विवाद का निपटारा करने के लिये विद्युत अधिनियम अथवा विद्युत अधिनियम से प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत बनाए गए या विनियम के किसी प्रावधान की बाधा फोरम के समक्ष होना प्रथमदृष्टया नहीं पाया जाता है । फोरम गुण–दोषों के आधार पर इस तथ्य के संबंध में

निष्कर्ष दे सकता है कि यदि किसी उपभोक्ता के पास विभिन्न प्रकार के कई विद्युत कनेक्शन हो और उनमें से कुछ विद्युत कनेक्शन के बिल का भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा हो तो क्या उपभोक्ता द्वारा जिस विद्युत कनेक्शन के बिलों का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है तो उसें विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा काटा जा सकता है अर्थात् उसे विद्युत प्रदाय करने से मना किया जा सकता है ।

9. इस मामले में फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के वास्तविक तथ्यों पर ध्यान दिये बिना प्रश्नांगत आदेश पारित किया गया है । अतः उपभोक्ता फोरम के उक्त आदेश को अपास्त किया जाता है तथा उपभोक्ता की शिकायत को पुनः फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उपभोक्ता की शिकायत का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण, फोरम द्वारा अधिकतम 2 माह की अवधि के अन्दर किया जावे ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल